पत्र संख्या-कम्प्यूटर-NIC कम्प्यूट्राइजेशन(S/W)-(2011-12) / 796-A / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

दिनॉक // लखनऊ // दिसम्बर, 23, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विभागीय कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में विभिन्न विभागीय कार्यालयों को लीज लाइनों के माध्यम से केन्द्रीय सर्वर से जोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा अनेक कार्यालय केन्द्रीय सर्वर से जोड़े भी जा चुके हैं। इन कार्यालयों से हाल में यह शिकायतें प्राप्त हुई है कि केन्द्रीय सर्वर के अत्यधिक धीमा चलने के कारण सुविधा केन्द्रों पर रसीदें जारी करने में कठिनाई आ रही है तथा प्रतिदिन अनेक व्यापारी रिटर्न अथवा ई-रिटर्न के acknowledgement जमा करने से वंचित रह जा रहे हैं।

अतः निर्देश दिए जाते हैं कि यदि केन्द्रीय सर्वर से रसीदें जारी न हो पाने की समस्या के कारण किसी व्यापारी द्वारा माह दिसम्बर 2011 में रिटर्न या ई-रिटर्न का acknowledgement समय से दाखिल न किया जा सका हो परन्तु स्वीकृत कर समय से जमा हो तो ऐसे व्यापारी के विरुद्ध विलम्ब के आधार पर अर्थदण्ड की कार्यवाही न की जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का निष्ठा से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

23/12

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त अनुभाग अधिकारी।

(एम0के0 सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।